मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय तल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल

(ए–75/रासूआ/1/रीवा/2006)

श्री के.बी.श्रीवास्तव, — अपीलार्थी
41/225,
पुलिस चौकी के पीछे,
रीवा, मध्यप्रदेश

विरूद्ध

श्री एस.एन.मेहरा, — सहायक लोक सूचना अधिकारी,
उप संचालक कृषि,
कृषि संचालनालय,
भोपाल

संचालक कृषि — अपीलीय अधिकारी
मध्यप्रदेश भोपाल

आदेश

(दिनांक 04 मई 2006)

श्री के0पी0श्रीवास्तव ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलकर्ता ने कतिपय बिन्दु पर जानकारी लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त करने के लिये दिनांक 20 नवम्बर 2005 आवेदन दिया था । अपीलकर्ता को सभी जानकारी मिल गई है लेकिन केवल एक बिन्दु पर जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। यह बिन्दु अपीलकर्ता की 1965–66 से लेकर वर्ष 90–91 तक के प्रत्येक वर्ष के वार्षिक गोपनीय चरित्रावलियों की अभिप्रमाणित छाया प्रतियां प्राप्त करने से सम्बन्धित हैं।

2. इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी ने यह उत्तर प्रस्तुत किया है कि गोपनीय चरित्रावली देने के सम्बन्ध में उन्होंने शासन से मार्ग–दर्शन चाहा है और मार्ग दर्शन प्राप्त होने के उपरांत ही वांछित कार्यवाही की जावेगी। इस प्रकरण में दिनांक 04.05.2006 को सुनवाई की गई । अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हुए सहायक लोक सूचना अधिकारी श्री एस.एन.मेहरा उपस्थित हुए। इन दोनो पक्षों को सुना गया सहायक लोक सूचना अधिकारी का यह कहना है कि गोपनीय चरित्रावली दिये जाने का विषय शासन की नीति से सम्बिन्धित है और उसमें जानकारी तभी दी जा सकती है जब शासन से इस विषय पर मार्ग दर्शन प्राप्त हो जायेगा। उन्होंने इस सम्बन्ध में राज्य शासन को विभिन्न पत्र संचालक कृषि के द्वारा भेजे गये है। उनकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। जिसकी प्रति राज्य सूचना आयोग को इस प्रकरण में भेजी गई है।

3. अपीलकर्ता ने जो जानकारी मांगी है, वह व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में आती है जिसको देने के लिये लोक प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के अन्तर्गत बाध्य नहीं है, यदि उसका सम्बन्ध किसी लोक हित या लोक कार्यकलाप से न हो । अपीलकर्ता का

ध्यान इस प्रावधान की ओर आकर्षित किया गया और उसने यह पूछा गया कि उनकी गोपनीय चरित्रावली किस प्रकार से लोकहित या लोक क्रियाकलाप से सम्बन्धित है। अपीलकर्ता का यह कहना है कि सूचना का सम्बन्ध उसकी पदोन्नति से है यद्यपि की अपीलकर्ता सेवानिवृत्त हो चुका है । उनका यह भी कहना है कि उनकी पदोन्नति का सम्बन्ध उनके परिवार से है, जो लोक हित से संबंधित है। गोपनीय चरित्रावली के संबंध में जानकारी दिये जाने के विषय पर उन्होंने मेरा ध्यान सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गुरूदयालसिंह फिज्जी बनाम पंजाब राज्य (एआईआर 1979 एससी 1622) की ओर आकर्षित किया है। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि नैसर्गिक न्याय के नियमों में अहितकर रिपोर्ट पर तब तक पदोन्नति सम्बन्धी अवसर से वंचित करने के लिये कार्यवाही नहीं की जा सकती है जबतक सम्बन्धित को संसूचित न कर दिया जाये ताकि उसे अपने कार्य और आचरण में सुधार करने का अवसर मिल सके अथवा उस रिपोर्ट की परिस्थितियों को स्पष्ट कर सके।

4. सर्वोच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय पदोन्नति के सम्बन्ध में है। इस आयोग में विचारणीय विषय यह है कि गोपनीय चरित्रावली की प्रति अपीलकर्ता को दी जाये अथवा नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गोपनीय चरित्रावली में जो जानकारी रहती है, वह व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में आती है। प्रश्न यह है कि इसप्रकार की जानकारी का किसी प्रकार से लोकहित या लोक कार्यकलाप से संबंध है या नहीं । अपीलकर्ता ने ऐसी कोई बात नहीं बताई जिससे अपीलकर्ता की गोपनीय चरित्रावली का किसीप्रकार का संबंध लोक हित या लोक क्रियाकलाप से किया जा सके। अपीलकर्ता ने जो अपने परिवार का दृष्टांत उल्लेखित किया है और यह कहा है कि उसकी पदौन्नति न होने से उनका परिवार प्रभावित होता है और यह लोकहित की श्रेणी में आता है उससे मैं सहमत नहीं हूॅ । अपीलकर्ता ने जो जानकारी मांगी है वह व्यक्तिगत है और उसका संबंध लोकहित या लोक क्रियाकलाप से नहीं है। अतः इस जानकारी को देने के लिये लोक प्राधिकारी अधिनियम की धारा 8 (1)(जे) के तहत बाध्य नहीं है। अतः यह अपील निरस्त की जाती है।

(टी0एन0श्रीवास्तव)

मुख्य सूचना आयुक्त